रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 1974/माघ 8, 1895
No. 23] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 1974/MAGHA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th January 1974

SUBJECT.—*Supply of indigenous raw materials and components in India by indigenous producers against valid import licences in discharge of export obligations. (Amendment No. 82).*

No. 15-ITC(PN)/74.—A new scheme has been introduced with immediate effect for supplies of indigenous raw materials and components by indigenous producers against valid import licences in the discharge of export obligations.

2. Under this scheme, any indigenous producer who is under an obligation to export an item, and if he can supply the same item to a person holding a valid REP licence or Actual User licence for that item, such supply will be considered as an export for the purpose of satisfaction of the export obligation imposed on the indigenous producer. The scheme will apply to all cases where export obligations have been imposed or are hereafter imposed on capital Goods licences, industrial licences or on approvals of foreign collaboration. It will also apply to cases in which compulsory export obligations have been imposed on manufacturers engaged in selected industries to the extent of a minimum of 5 per cent of their production under the import policy for Actual Users.

3. In cases where the indigenous producer is willing to sell the goods to a valid licence-holder under the scheme and the licence-holder is willing to purchase the goods, in question, the licence-holder should make a specific request to the licensing authority which issued the licence, indicating the value for which the goods

covered by the import licence are proposed to be procured from the indigenous producer. Upon such request, the licensing authority will issue a Release Order on the indigenous producer indicating the description of goods and the value, and reduce to that extent the value of the import licence. If the goods to be purchased by the licence-holder cover the entire value of the licence, the licensing authority will cancel the licence while issuing the Release Order. Also, if any particular item appearing in the licence is to be procured from the indigenous producer for the entire value upto which that item could be imported against the licence, the licensing authority will delete that item from the licence while reducing the value of the licence in lieu of the Release Order to be issued.

4. The price at which such goods may be procured by licence-holders may be negotiated and settled between the buyer and the seller. It will, however, be incumbent on the licence-holder to mention the price and the quantity of goods while applying to the licensing authority for issue of Release Order.

5. The value to be treated as the f.o.b. value of exports for this purpose will be the value for which the goods are supplied by the indigenous producer or the value of the Release Order issued by the licensing authority in lieu of the import licence against which the goods are supplied, whichever is lower. The element of customs and excise duties will not be taken into account for this purpose.

6. If the goods to be supplied by the indigenous producer are free from export control and restrictions, the indigenous producer, apart from having the advantage of discharging his export obligation, will be eligible to the REP benefits available on exports under the policy as may be in force from time to time. If the goods to be supplied by indigenous producer are subject to export control in terms of the Exports (Control) Order, the indigenous producer, apart from having the advantage of discharging his export obligation will be eligible to the grant of import replenishment licence as may be admissible on exports of such goods under the import policy for Registered Exporters as in force from time to time.

7. The Release Order in terms of this Public Notice will be issued by the licensing authority in duplicate. One copy of the Release Order should be retained by the indigenous producer after obtaining thereon the acknowledgement of the Release Order holder for the receipt of the goods against the Release Order and the value thereof. The indigenous producer shall be required to produce this copy of the Release Order to the licensing authority concerned as an evidence of export for the purpose of claiming benefits as indicated.

8. The provisions of this Public Notice will not affect the operation of the scheme for supply of indigenous materials at international prices under paragraph 44, Part 'B', Section I of the Red Book (Vol. II) for the period 1973-74, in respect of items to which the said scheme is applicable.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 जनवरी 1974

विषय.—निर्यात आभारों को पूरा करने में वैध आयात लाइसेंसों के मद्दे देशी उत्पादकों द्वारा भारत में देशी कच्चे माल और संघटकों का संभरण (संशोधन संख्या 82)

सं० : 15—आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—निर्यात आभारों को पूरा करने में वैध आयात लाइसेंसों के मद्दे देशी उत्पादकों द्वारा भारत में देशी कच्चे माल और संघटकों के संभरण के लिए शीघ्र ही प्रभावी होने वाली एक नई योजना लागू की गई है ।

2. इस योजना के अन्तर्गत, कोई भी देशी उत्पादक जो कि मद का निर्यात करने के लिए आभार के अन्तर्गत आता है और यदि वह उस मद के लिए ऐसे व्यक्ति को जिस के पास बैंध आर० ई० पी० लाइसेंस या वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस है, उसी मद का संभरण कर सकता है, तो ऐसे संभरण को उस निर्यात आभार की संतुष्टि के विचार से जो देशी उत्पादक पर लादा गया है, एक निर्यात के रूप में माना जाएगा। यह योजना उन सभी मामलों में लागू होगी जहां पर निर्यात आभार लादे गए हैं या इसके बाद पूंजी गत माल लाइसेंसों, औद्योगिक लाइसेंसों या विदेशी सहयोग के अनुमोदनों पर लादे गए हैं। यह उन मामलों में भी लागू होगी जिन में वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए आयात नीति के अन्तर्गत उन के उत्पादन के 50 % न्यूनतम सीमा तक चुने हुए उद्योगों लगे हुए विनिर्माताओं पर आवश्यक निर्यात आभार लादे गए हैं।

3. उन मामलों में जहां देशी उत्पादक इस योजना के अन्तर्गत माल को बैंध लाइसेंस धारी बेचने का इच्छुक है और लाइसेंसधारी विषयाधीन माल को खरीदने का इच्छुक है तो आयात लाइसेंस के अन्दर आने वाले उस माल के मूल्य का संकेत करते हुए जो देशी उत्पादक से अधिग्रहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित है, लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह उस लाइसेंस प्राधिकारी के पास एक विशेष आवेदन करे जो लाइसेंस जारी करता है। इस आवेदन पर, लाइसेंस प्राधिकारी माल के ब्यौरे और मूल्य का संकेत करते हुए देशी उत्पादक को रिहाई आदेश जारी करेगा और आयात लाइसेंस के मूल्य को उस सीमा तक कम कर देगा। यदि लाइसेंसधारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल लाइसेंस के समस्त मूल्य के लिए होता है, तो रिहाई आदेश जारी करते समय लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को रद्द कर देगा। यदि कोई विशेष मद जो लाइसेंस में आई है, उस समस्त मूल्य के लिए जिसके लिए वह मद लाइसेंस के मद्दे आयात की जाने वाली है, देशी उत्पादक से प्रस्तुत की जाने वाली है तो लाइसेंस प्राधिकारी उस मद को भी उस लाइसेंस से जिस के बदले में रिहाई आदेश जारी किया जाना है, लाइसेंस के मूल्य को कम करते समय निकाल देंगे।

4. वह कीमत जिसके आधार पर लाइसेंस धारकों द्वारा ऐसे माल प्राप्त किए जा सकते हैं, क्रेता और विक्रेता के बीच तथा नियत की जा सकती है। लेकिन, लाइसेंस धारक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह रिहाई आदेश के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करते समय माल की कीमत तथा मात्रा का संकेत करे।

5. इस प्रयोजन के लिए निर्यात के जहाज पर निशुल्क मूल्य के रूप में समझा जाने वाला मूल्य वह होगा जिसके लिए देशी उत्पादक द्वारा माल संभरण किया जाता है या संभरण किए जाने वाले माल के मद्दे आयात लाइसेंस के बदले में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रिहाई आदेश का मूल्य इन में जो भी कम होगा वह होगा। इस प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क कर के किसी भी अशको लेखे में नहीं लिया जाएगा।

6. यदि देशी उत्पादक द्वारा संभरण किए जाने वाले माल निर्यात निर्यंत्रण तथा प्रतिबंधनों से मुक्त है तो देशी उत्पादक अपने निर्यात दायित्व को पूरा करने के लाभ के अतिरिक्त, समय-समय पर लागू की जाने वाली नीति के अन्तर्गत निर्यातों पर उपलब्ध आई० ई० पी० लाभ के लिए भी पात्र होगी। यदि देशी उत्पाद द्वारा संभरण किए जाने वाले माल निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अनुसार निर्यात नियंत्रण के अधीन है तो देशी उत्पादक अपने निर्यात दायित्व को पूरा करने के लाभ के अतिरिक्त, समय-समय पर लागू होने वाली पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत ऐसे माल के निर्यातों पर यथा स्वीकृति आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए भी पात्र होगा।

7. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा रिहाई आदेश दो प्रतियों में जारी किया जाएगा । रिहाई आदेश और उसके मूल्य के महे माल की पावती के लिए रिहाई आदेशधारी की उस पर पावती प्राप्त होने पर रिहाई आदेश की एक प्रति देशी उत्पादक द्वारा रख ली जानी चाहिए। देशी उत्पादक को इस प्रति को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी के पास यथा संकेतित लाभों का दावा करने के लिए निर्यात के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

8. इस सार्वजनिक सूचना की व्यवस्थाएं, 1973-74 अवधि के लिए रेडबुक (खं० 2) के खंड 1, भाग 'बी' की कंडिका 44 के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर देशी माल के संभरण के लिए चलाई जाने वाली योजना, और उन मदों के संबंध में जिन के लिए उपर्युक्त योजना लागू होती है, को प्रभावी नहीं करेगी ।

एस० जी० बोस मलिक
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974